



पत्र सं 08वी / यू०सी०पी० / 07 / 147 / 2018 / एफ०सी० / । ८२७

दिनांक: ३१/१०/२०१९

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत 220 के०बी० डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में धौनींगा से बरेली 400 के०बी० डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि�० को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या— 1232/x-4-18/1(213)/2018 दिनांक 06.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/TRANS/35527/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियाँ/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22, अगस्त 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत 220 के०बी० डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में धौनींगा से बरेली 400 के०बी० डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि�० को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैं:-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 116.865 हे० (धिघरानी 12.456 हे०, सलोनी 18.703 हे०, सॉबलीसेरा 10.667 हे०, भेलिया 20.415 हे०, डोकुना 11.665 हे०, डॉगटी 21.645 हे०, चमतोली 21.304 हे०) प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन धोषित किया जाना आवश्यक है।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे, RoW के अंदर जहौं-जहौं संभव हो, बैने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
- कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार कुल 706 वृक्षों से अधिक न हो।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.
4. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
5. During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer.
6. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.
7. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum 5.5 m clearance between conductor and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out this minimum clearance.
8. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
11. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
12. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।
14. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट रथनों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुसत्ति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
16. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवद्वीय

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिवेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)